



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेंट गाजियाबाद दिनांक 19.10.2026

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा गॉडफादर क्लब वेव सिनेमा के पास कौशाम्बी में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार से 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 हुक्का मय चिलम, 02 हुक्का की पाईप, 03 फ्लेवर्ड तम्बाकू पाउच बरामद ।

आज दिनांक 19.10.2026 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा वेव सिनेमा के पास स्थित गॉडफादर क्लब के अन्दर चल रहे अवैध हुक्का बार से 02 अभियुक्तों 1. बौबी शर्मा पुत्र विजयपाल शर्मा निवासी ग्राम बीरनगर थाना मवाना जिला मेरठ उम्र करीब 23 वर्ष 2. प्रतीक पुत्र अनेकपाल सिंह निवासी गली-12 भोलानाथ नगर शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 02 हुक्का मय चिलम, 02 हुक्का की पाईप, 03 फ्लेवर्ड तम्बाकू के पाउच बरामद हुये । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग ग्राहकों की मांग पर फ्लेवर्ड हुक्का मय चिलम तम्बाकू के उपलब्ध कराते हैं । हमारे पास इसका कोई लाइसेंस नहीं है । हम अवैध तरीके से हुक्का बार संचालन में सहयोग करते हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. बौबी शर्मा पुत्र विजयपाल शर्मा निवासी ग्राम बीरनगर थाना मवाना जिला मेरठ उम्र करीब 23 वर्ष ।
2. प्रतीक पुत्र अनेकपाल सिंह निवासी गली-12 भोलानाथ नगर शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

कब्जे से 02 हुक्का मय चिलम, 02 हुक्का की पाईप, 03 फ्लेवर्ड तम्बाकू के पाउच बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम ।

एनसीआर में मोबाइल/चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एन्टी स्नैचिंग टीम अपराध शाखा द्वारा एनसीआर में चेन/मोबाइल स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर कुल 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से सोने के आभूषण, मोबाइल के पार्ट, चोरी की बाइकें व अवैध असलाह बरामद किये गये हैं। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मधुबन बापूधाम पर मु0अ0सं0 330/2026 धारा 317(2), 317(5), 3(5) बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. रविकुमार शर्मा पुत्र रमेश चन्द्र शर्मा नि0 चक्की वाली गली हरवंश नगर धूकना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष, शिक्षा 10वीं फेल
2. अर्पित त्यागी पुत्र धर्मवीर त्यागी नि0 शिव मूर्ति के पीछे ग्राम मोरटी नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष, शिक्षा इंटरमीडिएट
3. गोलू उर्फ आशूतोष पुत्र जयवीर सिंह नि0 चौधरी पार्किंग ग्राम सिहानी नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष, शिक्षा हाईस्कूल
4. विशाल पुत्र मनवीर नि0 राधाकृष्णपुरम कालोनी ग्राम मोरटी नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष, शिक्षा इंटरमीडिएट
5. देव शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा नि0 लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास संगम विहार नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष, शिक्षा इंटरमीडिएट

बरामदगी का विवरण:-

1. सोने की गिट्टी- 01
2. सोने की चेन - 01
3. मोबाइल के मदरबोर्ड - 07
4. मोबाइल फोन - 05 बिना मदरबोर्ड
5. 01 मोबाइल फोन – पोवा कम्पनी
6. तमंचा- 01 .315 बोर अवैध
7. जिन्दा कारतूस 315 बोर - 01
8. खोखा कारतूस 315 बोर- 01
9. 01 मोटर साइकिल स्प्लेण्डर रजि0 न0 यू0पी0 14 डीएफ 7686
10. 01 मोटर साइकिल रजि0 न0- डीएल 05 एससीटी 6924

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तगण से की गयी पूछताछ के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त गिरोह विगत 03 माह से एनसीआर में सक्रिय है और अभियुक्तगण के द्वारा लगभग 15 मोबाइल स्नैचिंग व 07 चेन स्नैचिंग की घटना गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली व हापुड में कारित की गयी है। उक्त गिरोह का संचालन मुख्य रूप से रवि व विशाल के द्वारा किया जाता है। उक्त दोनों के द्वारा लगभग 06 माह पूर्व अन्य अभियुक्तों से सम्पर्क कर सबसे पहले नई दिल्ली से बाइक चोरी की गयी तथा उसके उपरान्त स्नैचिंग की घटनायें कारित की गयी हैं। दिल्ली से बाइक चोरी के सम्बन्ध में थाना कल्याणपुरी पर माह जुलाई में अभियोग पंजीकृत किया गया। स्नैचिंग की घटना कारित किये जाने के उद्देश्य से ही लगभग 01 सप्ताह पूर्व थाना नन्दग्राम क्षेत्र से भी 01 बाइक चोरी की गयी है, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 16.10.2026 को थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा स्नैचिंग के उपरान्त मोबाइल फोन को देव शर्मा उर्फ देवा को दिया करते थे। देवा वर्तमान में रैपिडों में डिलीवरी का काम करता है। देवा पूर्व में नन्दग्राम में मोबाइल की दुकान चलाता था, जहाँ वह मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। लगभग 06 माह पूर्व उक्त दुकान बंद कर दी थी। स्नैचिंग किये हुए मोबाइल फोन रवि व विशाल द्वारा देवा को दिये जाते थे, जो उन मोबाइल फोन के पार्ट अलग अलग कर मदरबोर्ड

को गफफार मार्केट व मुस्तफाबाद नई दिल्ली में दुकानों पर बेच दिया करता था। देवा लगभग 1500/-रु0 में फोन लेता था और मदरबोर्ड को आगे 2000/- से 2500/- रु0 में बेच देता था। इसी प्रकार लूटी गयी चेन को अभियुक्तगण द्वारा थाना नन्दग्राम क्षेत्र के स्वर्ण व्यवसायी को आधे दामों पर बेच दिया करते थे। लूट के आभूषण खरीदने वाले सुनार के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है।

अनावरित घटनाओं का विवरण:-

- 1.मु0अ0सं0 313/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना मधुबन बापूधाम (चेन स्नैचिंग)
- 2.मु0अ0सं0 223/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना वेवसिटी (मोबाइल स्नैचिंग)
- 3.मु0अ0सं0 616/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना नन्दग्राम (बाइक चोरी)
- 4.मु0अ0सं0 17455/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना कल्याणपुरी नई दिल्ली (बाइक चोरी)

बरामद अन्य मोबाइल फोन/मदरबोर्ड व मोबाइल पार्ट तथा सोने की चेन के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है

।

आपराधिक इतिहास:- अभियुक्तगण से की गयी पूछताछ में पूर्व में कभी गिरफ्तार न होना पाया गया है। अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.एन्टी स्नैचिंग टीम अपराध शाखा गाजियाबाद।
- 2.थाना मधुबन बापूधाम पुलिस गाजियाबाद।